

UN-STARRED ASSEMBLY QUESTION No. 41

Sh. AMARJEET DHANDA (Julana):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that an application, to provide 610 square yards land from the land of M.C. Julana on collector rate for Pandit Deen Dayal Upadhyaya Library under the section 9(1) of the Haryana Management of Municipal Properties and State Properties Rules 2007, sent by the Brahmin Dharamshala through the letter no. 11870 dated 26.11.2021 to the Secretary, Municipal Committee, Julana through District Officer is lying pending at the office of Director, Urban Local Bodies Department, Haryana; and
- b) if so, the time by which above said land is likely to be provided by the Government?

Dr. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER, HARYANA.

- a) Yes Sir, the matter to provide 610 square yards land of Municipal Committee, Julana on collector rate for Pandit Deen Dayal Upadhyaya Library is under process in the Department.
- b) Some information/clarification has been sought from District Municipal Commissioner, Jind and Secretary, Municipal Committee, Julana vide letter dated 19.10.2022, which is awaited. After receipt of the information /clarification from District Municipal Commissioner, Jind and Secretary, Municipal Committee, Julana the matter will be processed for approval of the Government.

श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना) :

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएं कि:—

क) क्या यह तथ्य है कि ब्राह्मण धर्मशाला द्वारा हरियाणा नगरपालिका सम्पत्ति प्रबंधन तथा राज्य सम्पत्ति नियम 2007 की धारा 9(1) के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय के लिए नगर समिति, जुलाना की भूमि से 610 वर्ग गज भूमि उपलब्ध कराने का एक आवेदन जिला अधिकारी द्वारा पत्र संख्या 11870 दिनांकित 20.11.2021 के माध्यम से सचिव, नगर पालिका को भेजा गया था जो कि कार्यालय निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के पास लंबित है; तथा

ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि कब तक उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है ?

डॉ. कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

क) जी महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुस्तकालय के लिए कलैक्टर रेट पर नगर पालिका, जुलाना की 610 वर्ग गज भूमि उपलब्ध कराने का मामला विभाग में प्रक्रियाधीन है।

ख) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के कार्यालय के पत्र दिनांक 19.10.2022 द्वारा जिला नगर आयुक्त, जीन्द एवं सचिव, नगर पालिका, जुलाना से कुछ सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है जो प्रतीक्षित है। सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त मामला सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।